<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

आईपीएम के प्रसार तथा किसानों की आमदनी बढाने में मील का पत्थर साबित होंगे नए कृषि अधिनियम: निदेशक, आईसीएआर-एनसीआईपीएम, नई दिल्ली

भारत सरकार द्वारा हाल ही में तीन कृषि अधिनियम "किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन सेवा अधिनियम2020, और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) अधिनियम 2020" लागू किये गए हैं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पादों की बिक्री को सिर्फ मंडी में ही बेचने की पुरानी बंदिशों को हटा दिया गया है अब कोई भी किसान या किसान संगठन अपने कृषि उत्पाद को देश के किसी भी राज्य में कही भी अपनी सुविधा और बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए बेच सकता है इस तरह की स्वतंत्रता होने से कई छोटे एवं बड़े व्यापारी कृषि उत्पाद की खरीद एवं बिक्री के व्यापार में उतरेंगे और अच्छे मूल्य प्राप्ति के लिए गुणवत्ता युक्त तथा कीटनाशक अवशेष रहित कृषि उत्पादन को महत्व देंगे जिससे कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक निर्यात हो सके और उच्चस्तरीय मूल्य मिल सके ।

जहरीले कीटनाशक रसायनों के अवशेषों से मुक्त गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए जरूरी है कि कीट-रोगों के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों द्वारा जहरीले रसायनों का उपयोग न करके आईपीएम (समेकित नाशीजीव प्रबंधन) पद्धति को बड़े स्तर पर अपनाया जाए । आईपीएम अपनाने के लिए आवश्यक है कि किसानों को नई-नई आईपीएम तकनीक एवं इनपुट सही समय पर उपलब्ध हों तथा किसानों को लगातार सही समय पर उचित सलाह मिलती रहे । अनुबंधित खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) के माध्यम से किसान और व्यापारी/कम्पनी के मध्य करार रहेगा जिसमें कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण फसल लगाने से पहले ही दोनों पक्षों की सहमति से किया जा सकेगा तथा जहरीले रसायनों के अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादन के लिए सम्बंधित व्यापारी/कम्पनी किसानों को आईपीएम तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी तथा गुणवत्ता युक्त आईपीएम इनपुट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी । जिसके फलस्वरूप अधिक से अधिक किसान भाई आईपीएम अपनाने में सफल होंगे एवं जहरीले रसायनों से मुक्त अपने कृषि उत्पाद को ऊँची कीमत पर बेचने के लिए मोल भाव करने में सक्षम होंगे क्योंकि गुणवत्ता युक्त एवं रसायन मुक्त कृषि उत्पादों की मांग विश्व स्तर पर दिनों दिन बढती जा रही है।

इन अधिनियम में कृषि उत्पादों के भण्डारण की भी छूट दी गयी है जिससे देश में उच्च तकनीक युक्त भंडार गृहों का निर्माण करने के लिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा जो कि कटाई उपरांत कृषि उत्पादों की कीट बीमारियों से होने वाले नुकसान में कमी लाने के साथ ही इन उत्पादों के निर्यात की वृद्धि में सहायक होगा । आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से उपभोग्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है जिसके अंतर्गत जल्दी ख़राब नहीं होने वाले कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में 50 % से अधिक व जल्दी ख़राब होने वाले कृषि उत्पाद जैसे फल-सब्जी इत्यादि के बाजार मूल्य में 100 % से अधिक बढ़ोत्तरी पर इन उत्पादों पर भण्डारण अधिनियम लागू नहीं होगा जिससे बाजार मूल्य नियंत्रण में सहायता मिलेगी।